अति महत्वपूर्ण

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
**STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR**

संख्या–न0नि0 50–26 / 2026..2050..

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा(भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–जिला पदाधिकारी, पटना, बक्सर, भोजपुर,
रोहतास, नालन्दा, गयाजी, औरंगाबाद, जहानाबाद,
सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण,
प0 चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा,
पूर्णिया, किशनगंज, लखीसराय, बेगूसराय,
खगड़िया, एवं भागलपुर।

पटना, दिनांक– 18.5.26

विषय :– **नगरपालिका आम निर्वाचन/उप निर्वाचन, 2026 हेतु निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि 08 नगरपालिका (नगर परिषद–फुलवारीशरीफ, दानापुर निजामत, खगौल, सोनपुर, नगर पंचायत– मदनपुर, जम्हौर, महाराजगंज एवं मधुबन) के आम निर्वाचन तथा कतिपय कारणों से रिक्त हुए पदों के उप निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराया जाना है। इस हेतु आयोग के आदेश ज्ञापांक–930 दिनांक–05.03.2026 द्वारा बिहार नगरपलिका अधिनियम, 2007 की धारा 443(2) के तहत प्रत्येक जिला के लिए उस जिला के जिलादण्डाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के रूप में पदाभिहित किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–443(3) एवं (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत नगरपालिका आम निर्वाचन/उप निर्वाचन 2026 के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी(नगरपालिका) को प्राधिकृत किया जाता है।

3 आयोग का निदेश है कि नगर निगम के लिए प्राथमिकता के आधार पर उप विकास आयुक्त को निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए। यदि उप विकास आयुक्त नगरपालिका के प्रशासक के रूप में प्रतिनियुक्त हों, तो उनके स्थान पर अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए। जिस अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत नगर परिषद/नगर पंचायत पड़ता है, वैसे नगर परिषद/नगर पंचायत के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यदि एक अनुमंडल क्षेत्र के अन्तर्गत एक से अधिक नगर परिषद/नगर पंचायत पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे नगर परिषद/नगर पंचायत के लिए निर्वाची पदाधिकारी संबंधित अनुमंडल के भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को नियुक्त किया जाएगा। दोनों पदाधिकारियों को निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के बाद भी यदि किसी नगर परिषद/नगर पंचायत के लिए निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया जाना आवश्यक हो, तो उस नगर निकाय के लिए उप समाहर्त्ता स्तर से अन्यून किसी भी पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सहायक निर्वाची पदाधिकारी के लिए निर्वाची पदाधिकारी के पद से न्यून स्तर के राज्य सरकार के किसी अधिकारी को नियुक्त किया जा सकेगा।

Preeti

4.नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के प्रशासक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी तथा इन संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों को निर्वाची/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5. गृह जिला में पदस्थापित/03 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित/पूर्व चुनाव में अनियमितता बरतने वाले किसी पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं के आलोक में निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति शीघ्र करते हुए निम्न प्रपत्र में उनके नाम, पदनाम तथा मोबाईल संख्या आयोग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए :–

जिला–

नगरपालिका का नाम–

निर्वाची पदाधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल संख्या	ई.मेल
1	2	3	4
सहायक निर्वाची पदाधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल संख्या	ई.मेल
1	2	3	4

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञाप संख्या– न0नि0 50–26/2026 2050 पटना, दिनांक 18.5.26

प्रतिलिपिः– Vigrous टीम/श्री राहुल कुमार, एस.ई.आर. तकनीकी टीम/आई.टी प्रबंधक, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञाप संख्या– न0नि0 50–26/2026 2050 पटना, दिनांक 18.5.26

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

ज्ञाप संख्या– न0नि0 50–26/2026 2050 पटना, दिनांक 18.5.26

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।